कार्यालय प्राचार्य,शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय इन्दौर

दिनांक 17/08/2026

सत्र 2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025 में छात्रवृत्ति से वंचित अनुसूचित जाति (SC) हेतु एम.पी.टॉस एवं राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 पर आवेदन के संबंध में आवश्यक– सूचना

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र.शासन भोपाल के पत्र क्रमांक 1/241118/2026 भोपाल दिनांक 14/08/2026 के परिपालनार्थ महाविद्यालय में अध्ययनरत अनुसूचित जाति (**SC**) के समस्त विद्यार्थियो को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022–2023, 2023–2024 एवं 2024–2025 में छात्रवृत्ति के आवेदन से वंचित विद्यार्थियों हेतु एम0पी0टॉस पोर्टल पर राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल दिनांक 30/08/2026 तक खुला है। अतः अनुसूचित जाति के ऐसे विद्यार्थी जो उक्त अवधि के आवेदन से वंचित है वे तत्काल अपने छात्रवृत्ति आवेदन भरकर छात्रवृत्ति शाखा में जमा करें। पोर्टल बंद होने के उपरांत आवेदन नही होने पर संबंधित विद्यार्थी स्वयं उत्तरदायी होगें तथा उनकी शासन के प्रति जवाबदेही निर्धारित की जावेगी।

नोट :– जिन विद्यार्थियो ने पूर्व में राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0 से आवेदन किये थे वे उसी पोर्टल से अपना छात्रवृत्ति आवेदन करना सुनिश्चित करें।

पोर्टल बंद होने की अंतिम दिनांक 30/08/2026 है।

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय, इन्दौर

प्रभारी प्राचार्य
शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय
इन्दौर म.प्र.

कायालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल-**462004**
Email heschlor@mp.gov.in

क्रमांक **I/1241118/2026** दिनांक **14-08-2026**
प्रति,

1 कुलसचिव,
समस्स शासकीय विश्वविद्यलाय
उच्च शिक्षा, म.प्र.

2 प्राचार्य,
समस्त्त शासकीय/अशासकीय एवं अनुदान्न प्राप्त
अशासकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा, म.प्र.

विषय:-सत्र **2022-23, 2023-24** एवं **2024-25** में आवेदन से वंचित अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन के संबंध में।
संदर्भ :- कार्यालयीन पत्र क्रमांक **I/1235149/2026** दिनांक **12-08-2026**

विषयांतर्गत लेख है कि एमपीटास पोर्टल एवं राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल **2.0** पर सत्र **2022-23, 2023-24** एवं **2024-25** में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन से वंचित अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थियों के आवेदन हेतु योजना के नोडल अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिनांक **30.08.2026** तक आवेदन हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गई है।

2 उक्त सत्रो में आवेदन से वंचित अनुसूचित जाति संवर्ग के विद्यार्थियों से शीघ्र ही आवेदन एवं आवेदन के पश्चात प्राप्त आवेदनों का शीघ्र ही परीक्षण कर सत्यापन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिशिच्त करें। आवेदरन करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के ईमेल **cscd.bhopal@mp.gov.in** पर अवगत कराए तथा संदर्भित पत्र में संलग्न समय सारणी के अनुसार उक्त प्रकरण की जानकारी छात्रवृत्ति शाखा को उलपब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें ।

अत: उक्त निर्देशो पश्चात् विद्यार्थी का लाभांवित होने से शेष रहने जाने पर प्राप्त्त शिकायतों की जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय की होगी।

Digitally signed by
Yogendra Verma
Date: 14-08-2026
15:35:14

(डॉ योगेन्द्र वर्मा)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, म;प्र.

पृ. क्र**I/1241118/2026** दिनांक **14-08-2026**
प्रतिलिपि:-

1. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन , भोपाल,म.प्र.
2. निज सहायक, आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, श्यामला हिल्स, भोपाल,म.प्र.।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त संभाग, म.प्र.
4. प्राचार्य, समस्त शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, उच्च शिक्षा, म प्र.

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
उच्च शिक्षा, म;प्र.

कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास
राजीव गांधी भवन, 35, श्यामला हिल्स भोपाल, म.प्र.

E-Mail : cscd.bhopal@mp.gov.in

File No.:SCDC/11/1/1/0016/2025-Shik-1-SCDC   Comp. No.:788015

प्रति,

प्रबंध संचालक
मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम
भोपाल (म.प्र.)

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई.टी.),
राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी),
सतपुड़ा भवन, भोपाल
मध्यंप्रदेश

विषयः-MPTAASC Portal एवं NIC 2.0 Portal पर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 & 2024-25 के आवेदन हेतु पोर्टल खोले जाने के संबंध में।

--0-0--

विषयांतर्गत प्राप्त अनुमोदन अनुसार लेख है किMPTAASC Portal एवं NIC 2.0 Portal पर अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 & 2024-25 के नवीन एवं नवीनीकरण आवेदन हेतु पोर्टल दिनांक 15 अगस्त, 2026 से दिनांक 30 अगस्त, 2026 तक पोर्टल खोलने का कष्ट करें।
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Sanjay Varshney
Date: 13-08-2026
16:40:22
अपर आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

पृ. File No.:SCDC/11/1/1/0016/2025-Shik-1-SCDC   Comp. No.:788015
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त/संचालक, सर्व संबंधित विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर लेख है कि, 30 अगस्त 2026 के पश्चात अनुसूचित जाति के पात्र विद्यार्थियों का आवेदन जमा किये जाने से वंचित होने पर संबंधित संस्थाएं जिम्मेदार होगी ।

2. समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

3. समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण एवं जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

4. समस्त सहायक आयुक्त / जिला संयोजक, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त आशय की सूचना का अपने जिले में पर्याप्त प्रचार-प्रसार करें एवं समाचार पत्रों में PRO के माध्यम से प्रेस नोट भी जारी करें तथा अंतिम दिनांक तक लंबित छात्रवृत्ति के प्रकरणों को विशेष अभियान चलाकर निबटाने की कार्यवाही की जावे।

अपर आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

Scanned with OKEN Scanne